न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)

मूल वाद सं– 22/14

1. भागचन्द्र पुत्र तुलसीराम
2. पांचों बेबा
3. रामनरेश
4. सुन्दर सिंह

(2–4) पिसरान पिस्सू

5. पप्पू उम्र 10 वर्ष
6. गुड्डू उम्र 8 वर्ष

(5–6) पिसरान पिस्सू नावालिग सरपरस्ती मॉ पाचों

जातिगण निषाद निवासी ग्राम छीतापुरा तहसील राजाखेडा

––– वादीगण

बनाम

1. ब्रम्हजीत
2. छोटेलाल
3. श्रीलाल

(1–3) पुत्रगण सुम्मेर सिंह जातिगण निषाद निवासीगण ग्राम छीतापुरा तहसील राजाखेडा

4. नारायन सिंह पुत्र टेकचन्द जाति राजपूत निवासी सिघांवली खुर्द
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा
6. अनारदेई पत्नी माताप्रसाद जाति निषाद निवासी छीतापुरा तहसील राजाखेडा

–––––– प्रतिवादीगण

दावाः– बंटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थिति :–

3. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विमल कुमार शर्मा, वादी
4. विद्वान अधिवक्ता :– श्री ए0 के0 जैन, प्रतिवादी

निर्णय

मूल वाद सं. 22/14 दिनांक :– 13.08.2022

वादी ने यह वाद बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर विवादित आराजी स्थित ग्राम राजाखेडा में ख0नं0 776 रकवा 5 बीघा 13 विस्वा में वादी संख्या 1, 1/4 भाग का, वादी सं0 2 ल0 6 संयुक्त रूप से 1/4 भाग के, प्रतिवादी सं0 1 लगयात 3 संयुक्त रूप से 3/8 भाग के प्रतिवादी सं0 4, 1/8 भाग के खातेदार कृषक है एवं इसी प्रकार काबिज काश्त है। गैर सायलान विवादित आराजी काश्त बाबत हमेशा ही विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। फसल के बाबत सहमति नहीं बन पाती है। अतः काश्त में बाधा बनी रहती है।क्योंकि विवादित आराजी अविभाजित है। करीब 1 माह पूर्व जब वादीगा ने काश्त का विभाजन कर लेने को कहा तंब प्रतिवादीगण ने भविष्य में विवाद ना करने को कहा। किन्तु 15 दिन बाद ही विवादित आराजी से चारा लेने पर विवाद उत्पन्न हो गया। अतः विभाजन आवश्यक हो गया है। करीब 15 दिन पूर्व ही धमकी दी कि वह अपनी मर्जी से ही विभाजन करेंगे। यदि आपत्ति वादीगण ने की तो वह काश्त का लाभ भी नहीं लेने देंगे। वादग्रस्त आराजी का विभाजन वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स किया जाकर विवादित के खाते व लगान पृथक–पृथक किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जाकर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के हिस्से में आयी आराजीयात में हस्तक्षेप नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 के वकील न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 न्यायालय में उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री आर.एस चौहान ऐडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गया। उनके द्वारा आराजी का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर गौर कर वादी का वाद दिनांक 30.05.2019 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया था कि वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस पर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक एल.आर./22/2451 दिनांक 12.03.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव दिये गये है जिन पर अभिभाषक को सुना गया। उनके द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा दावा मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। हम मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित ग्राम राजाखेडा तहसील राजाखेड़ा का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि – आराजी खसरा न0 776/1 रकवा 0. 7145 किस्म बा.सो. लगान 0.90 भागचन्द पुत्र तुलसीराम हिस्सा 1/2, पांचों पत्नी व गुड्डू, पप्पू, रामनरेश, सुन्दर सिंह नाबा. पुत्रान पि0 पिस्सू नावा0 सरपरस्त माता खुद हि0 व0 1/2 जाति मल्लाह (निषाद) सा. छीतापुरा खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। व ख.न. 776/2 रकवा 0.7145 किस्म बा.सो. लगान. 0.89 छोटेलाल, श्रीलाल, ब्रहमजीत पि0 समेरसिंह हि0 व0 3/4 जाति मल्लाह(निषाद) सा. छीतापुरा व नारायनसिंह पुत्र टेकचन्द हि0 1/4 जाति राजपूत सा. सिंघावली खुर्द खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते एवं लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगें। फायनल डिक्री नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा